

File No. 24021/ 85/2014 -PC
Govt. of India/भारत सरकार
Ministry of Home Affairs/ गृह मंत्रालय
(पुलिस समन्वय अनुभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
दिनांक 23 जुलाई, 2014.

सेवा में,


डा. नूतन ठाकुर
5/426, विशाम खण्ड,
गोमती नगर,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन श्री डा. नूतन ठाकुर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) के दिनांक 15.05.2014 के आवेदन के बारे में।

कृपया अपने दिनांक 15.05.2014 के आवेदन, जो कि गृह मंत्रालय के आर. टी. आई. अनुभाग के दिनांक 02.07.2014 के का0 झा0 सं0 ए-43020/01/2014-आर.टी.आई. द्वारा अग्रेषित किया गया है, की ओर ध्यान दें, जिसके माध्यम से आपने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन गृह मंत्रालय द्वारा कमीशन आफ इन्क्वारी एक्ट, 1952 के अधीन गठित किए गए आयोग के बारे में सूचना माँगी है।

2. इस संबंध में सूचित करना है कि कमीशन आफ इन्क्वारी एक्ट, 1952 के अधीन आयोग गठित किए जाने संबंधित मामला पुलिस-1 प्रभाग के कार्य अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अतः इस मामले में पुलिस प्रभाग से संबंधित सूचना "शून्य" है।

3. इस मामले में श्री एम गोपाल रेड्डी, संयुक्त सचिव (पुलिस-1), गृह मंत्रालय, कमरा नम्बर 110, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली अपीलीय अधिकारी हैं तथा इस मामले में अपील, यदि कोई है, इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर की जा सकती है।


22.7.2014
(जी सी यादव)
उप सचिव (पी एम ए)
एवं सी.पी.आई.ओ.

प्रतिलिपि:-

1. अनुभाग अधिकारी, आर.टी.आई. सेल को उनके पत्रांक दिनांक 02.07.2014 के उर्पयुक्त का0 झा0 के सन्दर्भ में, सूचनार्थ प्रेषित।
2. आई. टी. सेल : गृह मंत्रालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।